(70)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 7–18/2008/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर, 2009

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः–हल्बा/हलबी (Halba/Halbi) जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करना।

––0––

शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि **हल्बा/हलबी (Halba/Halbi)** समुदाय के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किये जा रहें हैं। मध्यप्रदेश राज्य के लिये घोषित अनुसूचित जनजाति की सूची के सरल क्रमांक–17 पर **हल्बा/हल्बी (Halba/Halbi)** सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7–21/94/25–5, दिनांक 13–8–1998 द्वारा **हल्बा/हलबी (Halba/Halbi)** के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं तथा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 31–3–2000 द्वारा उक्त निर्देशों को स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 13–8–1998 को जारी परिपत्र में उल्लेखित जिलों का आशय यह नहीं है कि इन जातियों के व्यक्तियों को उन जिलों में ही प्रमाण पत्र दिया जाए जहां के वे मुख्यतः रहने वाले दर्शाया गया है। शासन का अभिप्राय है कि ये जनजातियॉ मुख्यतः उन जिलों में ही निवासरत है। यदि शेष जिलों में कोई व्यक्ति यह सिद्ध करता है कि वह उन्हीं जिलों के **हल्बा जनजाति** का होकर प्रदेश का मूल निवासी है तो उसे **हल्बा जनजाति** का प्रमाण पत्र दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

2/ अतः उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2005 में दिये गये निर्देशों के अनुसार इन जातियों के प्राप्त आवेदन–पत्रों की जांच कर प्रकरणों का निराकरण किया जाए।

(आर.के. गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

..2..

पृ0 क्रमांक एफ 7–18/2008/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर, 2009

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।

2. श्री वामनराव कुंभारे, प्रांताध्यक्ष, आदिवासी हल्बा/हलबी, समाज विकास परिषद, बी–229, बी सेक्टर, सर्वधर्म, कोलार रोड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग